

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)  
पीठासीन अधिकारी करुणा लाड़ोती ( आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :-110/2022

दर्ज दिनांक 04.11.2022

जीसीएम प्रकरण संख्या :- 2022/367

अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. नेनुदास पिता केशुदास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शम्भुदास पिता केशुदास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. पारसदास पिता बरदादास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कमला पुत्री बरदादास पत्नि मांगुदास जोगी निवासी मण्डी हाल नि.दुमियां तह. आसीन्द
3. सन्तोष पुत्री बरदादास पत्नि प्यारा रावल जोगी निवासी मण्डी हाल नि.वागजणा त. करेडा
4. पानी पुत्री बरदादास पत्नि भंवरनाथ जोगी निवासी मण्डी हा.नि.मोखमपुरा मृतक के वजाय
- 4/1. कैलाशनाथ पिता भंवरनाथ जोगी निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4/2. भैरी पुत्री भंवरनाथ पत्नि हीरावन जोगी निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर
5. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता वादी :- हरिशचन्द्र टेलर

प्रतिवादी सं० 1 :- अधिवक्ता महेन्द्रसिंह

प्रतिवादी सं० 6 :- पेरोकार सरकार

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::


(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

:: निर्णय ::

दिनांक:- 28.07.2025

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 10.05.2023 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है ग्राम मण्डी पटवार हल्का वागड़ तहसील रायपुर के बैरून हल्का आवादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की शागलाती खातेदारी अधिकार कृषि आराजियात संख्या 405 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 416 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 510/404 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 513/406 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 516/409 रकबा 0.21



  
सहायक कलक्टर  
(राज.जी.ओ.)रायपुर



है0, आराजी संख्या 518/410 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 520/411 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 522/412 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 524/413 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 526/414 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 528/415 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 530/418 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 532/419 रकबा 0.68 है0, आराजी संख्या 534/420 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 536/441 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 538/444 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 540/446 रकबा 1.05 है0, आराजी संख्या 542/447 रकबा 0.21 है0, कुल कित्ता 18 कुल रकबा 4.72 है0 भूमि में वादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए वाई भीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2025/860 दिनांक 10.07.2025 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।
3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।
4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	नेनुदास केशुदास 1/2 जोगी, शम्भुदास पुत्र केशुदास 1/2 जोगी	ग्राम गण्डी (खाता संख्या 24)	510/404/2	0.18
			513/406/2	0.16
			516/409/3	0.13
			518/410/2	0.06
			522/412/2	0.06
			524/413	0.07
			526/414	0.17
			530/418	0.05
			532/419/2	0.67
			524/420	0.33
			540/446/1	0.16
			540/446/2	0.24
	योग	12	2.28	
2	कमला पुत्री बरदादास 1/4 जोगी, पानी पुत्री बरदादास 1/4 जोगी, पारसादास पुत्र बरदादास 1/4 जोगी, रहन बीआरकेजीवी शाखा रायपुर संतोप पुत्री बरदादास 1/4 जोगी	ग्राम गण्डी (खाता संख्या 24)	405	0.07
			416	0.09
			510/404/1	0.10
			513/406/1	0.16
			516/409/2	0.05
			518/410/1	0.16
			520/411	0.09
522/412/1	0.02			



सहायक कर्मावर  
(पञ्जबी.ओ.) रायपुर

			528 / 415	0.16
			536 / 441	0.49
			538 / 444	0.15
			540 / 446 / 3	0.53
			542 / 447	0.21
		योग	13	2.28
3	शागलाती बंदस्तुर	घाम मण्डी (खाता संख्या 24)	516 / 409 / 1	0.03
			532 / 419 / 1	0.01
			540 / 446 / 4	0.12
		योग	3	0.16

उक्तानुसार अनिश्चिती डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजख नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीन की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

(करुणा लाडोती)

सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (शीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर पदेन

उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (शीलवाड़ा)  
(पञ्जी.ओ.) रायपुर



मूल वाद में डिक्री  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी करुणा लाड़ोती (आर०ए०एस०)

दर्ज दिनांक 04.11.2022

राजस्व प्रकरण संख्या :- 110/2022  
जीसीएम प्रकरण संख्या :- 2022/367  
अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. नेनुदास पिता केशुदास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शम्भुदास पिता केशुदास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. पारसदास पिता बरदादास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कमला पुत्री बरदादास पत्नि मांगुदास जोगी निवासी मण्डी हाल नि.टुगियां तह. आरपीन्द
3. सन्तोष पुत्री बरदादास पत्नि प्यारा रावल जोगी निवासी मण्डी हाल नि.बागजणा त. करेडा
4. पानी पुत्री बरदादास पत्नि भंवरनाथ जोगी निवासी मण्डी हा.नि.मोखमपुरा मृतक के वजाय
- 4/1. कैलाशनाथ पिता भंवरनाथ जोगी निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4/2. भैरी पुत्री भंवरनाथ पत्नि हीरावन जोगी निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर
5. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


उपस्थिति:- अधिवक्ता वादी :- हरिशचन्द्र टेलर  
प्रतिवादी सं० 1 :- अधिवक्ता महेन्द्रसिंह  
प्रतिवादी सं० 6 :- परोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 28.07.2025  
डिक्री दिनांक : 28.07.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कर्तई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री हरिश चन्द्र टेलर व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह चुण्डावत व परोकार सरकार हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	नेनुदास केशुदास 1/2 जोगी, शम्भुदास पुत्र केशुदास 1/2 जोगी	ग्राम मण्डी (खाता संख्या 24)	510/404/2	0.18
			513/406/2	0.16
			516/409/3	0.13
			518/410/2	0.06
			522/412/2	0.06
			524/413	0.07
			526/414	0.17
			530/418	0.05
			532/419/2	0.67
			524/420	0.33



सहायक कलक्टर  
(एस.टी.ओ.) रायपुर

			श्रीग	12	2.28
			425		0.07
			418		0.06
			510/404/1		0.10
			513/406/1		0.12
			518/409/2		0.05
			518/410/1		0.06
			520/411		0.09
			522/412/1		0.02
			528/415		0.14
			536/441		0.43
			538/444		0.15
			540/445/3		0.53
			542/447		0.21
			श्रीग	13	2.28
			श्रीग नम्बरो		0.03
			(खाला सांख्या 24)		0.01
			540/445/2		0.12
			श्रीग	3	0.15

2 कभला पुत्री बरदादास 1/4 जोनी चानी  
पुत्री बरदादास 1/4 जोनी चारकादास  
पुत्र बरदादास 1/4 जोनी संतोष पुत्री  
बरदादास 1/4 जोनी

नीज \_\_\_\_\_ NIL \_\_\_\_\_ मुबलिया \_\_\_\_\_ NIL \_\_\_\_\_ बाबा \_\_\_\_\_ NIL \_\_\_\_\_  
 खर्चा इस मुकदमें के मय मुद व साहर \_\_\_\_\_ NIL \_\_\_\_\_ फीस के साबाना आज की  
 नाराख से तारीख वसूलयावी तक \_\_\_\_\_ NIL \_\_\_\_\_ का अका कर।  
 बरदाद ने दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.07.2025 को जारी किया गया।

*(Signature)*  
 तारीख 28.07.2025

मुद	कयया	दीसे	भदायला	कयया	दीसे
रदाभ्य अरकीरका	-	-	रदाभ्य अरकीरका	-	-
रदाभ्य यकीलात नामा	-	-	रदाभ्य यकीलात नामा	-	-
रदाभ्य यवत साबुल	-	-	रदाभ्य यवत साबुल	-	-
भदनाला यकील ( )	-	-	भदनाला यकील ( )	-	-
खर्चा भदास	-	-	खर्चा भदास	-	-
फीस कभीरकर	-	-	फीस कभीरकर	-	-
बाबा कुतरात कुयनाया	-	-	बाबा कुतरात कुयनाया	-	-
मुनाकरिक	-	-	मुनाकरिक	-	-
	श्रीयला		श्रीयला		

*(Signature)*

तारीख 28.07.2025

